आर आर केट कर्मचारी सहकारी साख संस्था (मर्यादित), इन्दौर RRCAT EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY (LIMITED), INDORE (M.P)

Regd. No. AR/IDR/1172/Dtd. 04.05.1993

Old Production Unit (West Wing) RRCAT, Indore-452013

12-Jan-2021

संशोधित सूचना

प्रिय साथियों.

दिनांक 08-जनवरी-2021 को दि गई सुचना के अनुसार दिनांक 11 जनवरी 2021 से लागू होने वाले परिवर्तनों में किये गए संशोधनों पर ध्यान दें।

संस्था के सदस्यों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और निवेदन प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों और निवेदनों पर विचार विमर्श करने के पश्चात दिनांक 12-जनवरी -2021 को हुई कार्य कारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए है।

- 1. आवर्ती जमा एवं प्रगति योजना परिपक्व होने पर उस राशि को बिना अतिरिक्त राशि जोड़ कर सावधि जमा (एफ डी)में परिवर्तित किया जा सकता है।
- 2. कार्य कारिणी सिमिति द्वारा यह यह निर्णय लिया गया है कि, संशोधित ब्याज दरों के आधार पर ऋणों को संशोधित करने के लिए, मौजूदा ऋण राशि के 25% भुगतान की आवश्यकता नहीं है।
 - ऋणों की (ई एम आई)किस्त वही रहेगी।
 - यह संशोधन विशेष ऋण और आपात्कालीन ऋण के लिए लागू होगा।
 - यह संशोधन उपभोक्ता ऋण के लिए भी लागु होगा क्योंकि इस ऋण की ब्याज दर दिनांक 14 सितंबर 2020 को 11.5% से घटाकर 11% कर दिया गया था।
 - अगर ऋण राशि में परिवर्तन करते है तो , पिछली ऋण राशि का 25% का भुगतान (पार्ट पेमेंट) करना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण नोट: कार्यकारी समिति के पास आवश्यकता के अनुसार अधिकतम सीमा और ब्याज दर बदलने के सभी अधिकार हैं।

मेल-काल पर परिश्त करने Biganical

शिव दयाल मीर्ना/Shiv Dayal Meena

प्रशासनिक अधिकारी-III/Administrative Officer-III

श्रायनर पेन्माला / Shryner Penumala)

अध्यक्ष/President

भारत सरकार/Government of lodia परमाणु ऊर्जा विभाग/Departm असे के लिए और उसकी ओर से/For and on behalf of Managing Committee राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

Raja Ramanna Centre for Advanced Technology डाकघर केट, इन्दौर /P.O. CAT, Indore-452 013 (M.P.)

आर आर केट कर्मचारी सहकारी साख संस्था (मर्यादित), इन्दौर RRCAT EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY (LIMITED), INDORE (M.P)

Regd. No. AR/IDR/1172/Dtd. 04.05.1993

Old Production Unit (West Wing) RRCAT, Indore-452013

12-Jan-2021

Revised Notice

Dear members,

Kindly note the amendments made to the Notice, dated 08-Jan-2021—"Changes implemented with effect from 11th January 2021".

There are some important suggestions and requests received from the society members. After having elaborated discussion about this matter and in the meeting held on 12-Jan-2021 Executive Committee has decided to do the following amendments.

- RD and Pragati matured amount can be converted in to Fixed Deposit without adding any amount to it.
- It is decided by the committee that, in case of revising the loans on the basis of revised rate of interests, there is no need of payment of 25% of the existing loan amount.
 - · Loan EMI will remain same.
 - This amendment will be effective for Special Loan and Emergency Loan.
 - This amendment will also be effective for Consumer Loan as the Rate of Interest is changed from 11.5% to 11% on 14th September2020.
 - In case of change in loan amount payment of 25% of the previous loan amount is mandatory.

Important Note: Executive Committee has all the rights to change the maximum limits and Rate of Interest as when required.

(श्रायनर पेनुमाला / Shryner Penumala)

अध्यक्ष/President

प्रबंध समिति के लिए और उसकी ओर से/For and on behalf of Maraging Committee